विज्ञापन पत्रांक फार्म/मु0म0प्र0/क्र0वि0/

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म), हल्दी

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

जिला–ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के बेनी प्रक्षेत्र में खरीफ 2024 में 48.00 हैक्टेयर में उत्पादित गन्ने को खेतों से सीधे चीनी मिल, किच्छा तक ढुलाई के कार्य हेतु

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या......................	:	निविदा शुल्क ₹ 500.00 प्रति निविदा+18% जी0एस0टी0
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय	:	दिनांक 09.12.2024 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से
निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	:	दिनांक 23.12.2024 को अपरान्ह् 4.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	:	दिनांक 24.12.2024 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:	दिनांक 24.12.2024 को अपरान्ह् 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के बेनी प्रक्षेत्र में खरीफ 2024 में 48.00 हैक्टेयर में उत्पादित गन्ने की खेतों से सीधे चीनी मिल, किच्छा तक ढुलाई के कार्य हेतु दरें।

बेनी प्रक्षेत्र

खण्ड का नाम	खेतों से सीधे चीनी मिल किच्छा तक की औसत दूरी (कि0मी0)	दर प्रति कु0 (अंको एवं शब्दों में)	उपलब्ध करायी जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली/ट्रक की संख्या
"एन"	18.00		
"क्यू"	18.00		
"आर"	14.00		
"एस"	14.00		
"टी"	16.00		

मैंने पूर्व पृष्ठ भाग पर वर्णित निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्ते मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ .... बैंक ड्राफ्ट सं0 .... दिनांक .... के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर सं0..

दिनांक..

धनराशि ₹ ....

निविदादाता का पूरा नाम ....

हस्ताक्षर ....

पिता/पति का नाम ....

ग्राम व पोस्ट ....

तह0 .... जनपद.................................

पिन .... दूरभाष.................................

मोबाइल नं0 ....

पैन संख्या .... आधार नं0...............................

बैंक का खाता सं0/शाखा का नाम ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय फार्म के बेनी प्रक्षेत्र में उत्पादित गन्ने की खेतों से सीधे चीनी मिल, किच्छा तक ढुलाई कार्य

अल्पकालीन निविदा की शर्तें

1. निविदा के साथ गन्ना ढुलाई हेतु धरोहर राशि ₹ 30,000.00 (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट एवं एफ0डी0आर0 जो गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम देय हो, जमा करना आवश्यक होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. निविदादाता को निविदायें दिनांक 24.12.2024 को अपरान्ह 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। जो उसी दिन सांय 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदादाता भी उपस्थित रह सकते हैं।
3. निविदादाता को गन्ना ढुलाई हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले ट्रैक्टर–ट्राली/ट्रक की संख्या का उल्लेख निविदा प्रपत्र में स्पष्ट रूप से करना होगा जिससे विश्वविद्यालय फार्म अपने प्रतिदिन मांग के अनुसार की व्यवस्था कर सकें।
4. सफल निविदादाता को अपने खर्च पर ₹ 100.00 नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा।
5. बेनी प्रक्षेत्र के विभिन्न खण्डों में उत्पादित गन्ने को ट्रैक्टर–ट्राली/ट्रक में लदाई कर खेतों से चीनी मिल, किच्छा तक ढुलाई करनी होगी।
6. बेनी प्रक्षेत्र के विभिन्न खण्डों से गन्ने की निकासी से पूर्व प्रक्षेत्र सहायक के द्वारा रवन्ना प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना रवन्ना प्राप्त किये ट्रैक्टर–ट्राली व ट्रक खेत से बाहर नहीं निकाली जायेंगी।
7. सफल निविदादाता या उसके प्रतिनिधि के द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति को यदि कोई हानि होती है तो उसका दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
8. यदि सफल निविदादाता ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त करने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जा सकती है तथा इसके साथ ही काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
9. सफल निविदादाता के श्रमिकों, एवं मशीनों द्वारा वि0वि0 फार्म की फसलों को क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति सफल निविदादाता से की जायेगी।
10. ट्रैक्टर–ट्राली/ट्रक में गन्ने की लदाई एवं उतराई का कार्य सफल निविदादाता को करना होगा। बेनी प्रक्षेत्र से चीनी मिल के मध्य गन्ना ढुलाई कार्य में यदि कोई फसल की क्षति/दुर्घटना होती है तो इसका उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा। किसी तरह के विवाद पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कुलपति जी को होगा। जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। इसका न्याय क्षेत्र जिला–ऊधम सिंह नगर में निहित होगा।
12. यदि खेत में गन्ना छोड़ा गया तो ₹ 500.00 प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता से वसूल की जायेगी।
13. सफल निविदादाता को आवश्यकतानुसार ट्रान्सपोर्ट के साधन उपलब्ध कराने होंगे।
14. प्रस्तावित कार्य अनुमानित कार्य है, कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
15. सफल निविदादाता द्वारा किच्छा मिल में गन्ने की तौलाई के उपरान्त प्राप्त तौलाई पर्ची प्रतिदिन विश्वविद्यालय फार्म में जमा करनी होगी।
16. गन्ना ढुलाई का कार्य पूर्णरूपेण सम्पन्न होने से पूर्व यदि सफल निविदादाता कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा सुरक्षा धनराशि एवं अवशेष देयक जब्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय फार्म को होगा।
17. सफल निविदादाता को अपना बैंक खाता, पेन नं0 एवं आधार कार्ड नं0 का निविदा में उल्लेख करते हुए छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त कार्य पर जी0एस0टी मुक्त होने का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
18. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्स/स्टाम्प ड्यूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा।
19. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके सगे–सम्बन्धी उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र खरीदने एवं निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगें तथा निविदा निर्गत कराते समय इस आशय का पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके कोई सगे–सम्बन्धी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत नहीं है।

मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)

निविदादाता के हस्ताक्षर